भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1853

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022 / 1 पौष, 1944 (शक)

प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र में छंटनी

1853. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र में छंटनी के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर छंटनी किये जाने के दुष्प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजन और छंटनियाँ एक नियमित प्रक्रिया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के उपबंधों द्वारा निर्धारित होते हैं जिनसे छंटनी के विभिन्न पहलू भी विनियमित किए जाते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों से अपेक्षित है कि वे छंटनी को प्रभावी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करें। इसके अलावा, ऐसी छंटनी को अवैध माना जाता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न की गई हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम में छंटनी किए गए कामगारों के क्षतिपूर्ति के अधिकार का उपबंध भी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में सीमांकित किए गए अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों के आधार पर, ये केन्द्रीय और राज्य सरकारें कामगारों के मुद्दों का निवारण करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए उक्त अधिनियम के उपबंध के अनुसार कार्रवाई करती हैं। केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को छंटनी और उनकी रोकथाम से संबंधित मामलों सहित अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्रों से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

*****